महत्वपूर्ण

215

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन
मंत्रालय

कमांक एफ 13-7/2003/3/एक, भोपाल,दिनांक 5 जून, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :– एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पदोन्नति को लोक सेवा पदों में सीधी भरती तथा पदोन्नति में दिये जा रहे आरक्षण के संबंध में संसद द्वारा पारित संशोधन यथा 77 वॉं संशोधन, 81 वॉं संशोधन, 82 वॉं संशोधन तथा 85 वॉं संशोधन को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम.नागराज तथा अन्य बनाम संघ तथा अन्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या– 61/2002) मामले में चारों संशोंधनों को सही ठहराया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु भारत शासन, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 29 मार्च, 2007 सर्व संबंधितों के संज्ञान के लिये संलग्न प्रेषित है।

संलग्न – यथोपरि।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासनन विभाग

पृ0 कमांक एफ .3-7/2003/3/एक भोपाल,दिनांक 5 जून,2007

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.के.गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अति तत्काल

संख्या-36036/2/2007-स्था.(आर.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2007

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव,

विषय.—एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय.

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों में संविधान और कानून की दी गई व्याख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करती प्रतीत होती है. उदाहरण के तौर पर उच्चतम न्यायालय में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है. इसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पिछली बकाया रिक्तियों सहित एक वर्ष में आरक्षण के द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. उच्चतम न्यायालय ने एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया कि पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये कम अर्हक अंक/मूल्यांकन का कमतर स्तर अनुमत्य नहीं है. वीरपाल सिंह चौहान, अजीत सिंह तथा कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार को उसके वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार से आरक्षण रोस्टर के नियम के आधार पर पहले पदोन्नत कर दिया गया हो और उसका वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार बाद में उसी उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है तो सामान्य उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पहले पदोन्नत हुए उम्मीदवार से पुनः वरिष्ठता प्राप्त कर लेगा.

2. इन मामलों का समाधान करने के लिये संसद ने संविधान में चार संशोधन, नामतः 77वां संशोधन, 81वां संशोधन, 82वां संशोधन तथा 85वां संशोधन पारित किए हैं. इन संशोधनों को उच्चतम न्यायालय में मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई कि इनमें संविधान की मूलभूत संरचना परिवर्तित होती है. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम. नागराज तथा अन्य बनाम संघ भारत तथा अन्य [रिट याचिका (सिविल) संख्या-61/2002] मामले में इन चारों संशोधनों को सही ठहराया है. उच्चतम न्यायालय ने निम्न टिप्पणियों के साथ निर्णय को अंतिम रूप दिया.

"उपर्युक्त आक्षेपकारी संवैधानिक संशोधन विधि द्वारा अनुच्छेद 16(4क) तथा 16(4ख) अंतःस्थापित किए गए हैं, अनुच्छेद 16(4) से निःसृत हैं. इनसे अनुच्छेद 16(4) की संरचना परिवर्तित नहीं होती. इनमें पिछड़ापन तथा प्रतिनिधित्व की कमी जैसे नियंत्रणकारी तथ्य अथवा बाध्यकारी कारण बरकरार हैं जो राज्यों को अनुच्छेद 335 के अंतर्गत राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान करने हेतु सक्षम बनाते हैं. ये आक्षेपकारी संशोधन केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित हैं. इनसे इन्द्रा साहनी के मामले में दिये गये निर्णय की व्याख्या के अनुसार 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (मात्रात्मक सीमा), क्रीमीलेयर सिद्धान्त (गुणवत्ता संबंधी अपवर्जन), एक तरफ अन्य पिछड़े वर्गों तथा दूसरी तरफ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बीच उप वर्गीकरण और आर. के. सब्बरवाल के मामले में प्रतिस्थापन की अंदरूनी संकल्पना के साथ पद आधारित रोस्टर की संकल्पना जैसी किसी संवैधानिक अपेक्षा का उल्लंघन नहीं होता है".

"हम इस बात पर दोबारा जोर देते हैं कि 50 प्रतिशत की सीमा, क्रीमीलेयर की अवधारणा और बाध्यकारी कारण नामतः, पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक क्षमता—ये सभी संवैधानिक अपेक्षाएं हैं जिनके बिना अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का ढांचा चरमरा जाएगा".

"तथापि, जैसा कि इस मामले में कहा गया है, मुख्य मुद्दा 'आरक्षण की सीमा' से संबंधित है. इस संबंध में, संबंधित राज्य को आरक्षण की व्यवस्था करते समय प्रत्येक मामले में अपरिहार्य कारणों नामत: पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक क्षमता की मौजूदगी दर्शानी होगी. जैसा कि ऊपर कहा गया है, आक्षेपकारी प्रावधान एक समर्थनकारी प्रावधान है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये पदोन्नति के मामले में राज्य आरक्षण प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं है. तथापि, यदि वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं तो राज्य को अनुच्छेद 335 का अनुपालन करने के अतिरिक्त, उस वर्ग का पिछड़ापन, और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले समुचित आंकड़े प्रदर्शित करने होंगे. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपरिहार्य कारण होते हुए भी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य को यह देखना होगा कि इसके द्वारा निर्धारित आरक्षण संबंधी प्रावधान से आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा का अतिक्रमण न हो अथवा क्रीमीलेयर का अभिलोपन न हो अथवा आरक्षण अनिश्चितकाल तक के लिये न हो".

"उपर्युक्त शर्तों के अधीन, हम संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995, संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000, संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 और संविधान (पचासीवां) अधिनियम, 2001 की संवैधानिक वैधता को मान्यता प्रदान करते हैं."

3. इस विभाग ने सरकार के विधि अधिकारियों के परामर्श से इस बात की जांच की है कि उपर्युक्त संदर्भित निर्णय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रीमीलेयर की अवधारणा को लागू करता है अथवा नहीं. इस विभाग को सलाह दी गई है कि नागराज के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में क्रीमीलेयर के संबंध में की गई टिप्पणी केवल प्रासंगिक उक्ति है. यह इंद्रा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की खण्डपीठ के निर्णय से निःसृत नहीं है तथा इसका उससे कोई सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता. उक्त निर्णय के अंतिम पैरा तथा अन्य भागों में क्रीमीलेयर का संदर्भ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है.

4. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु को राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में ला दें.

भवदीय,
हस्ता./-
(के. जी. वर्मा)
निदेशक,
दूरभाष : 23092158